

**कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंगेजी माध्यम विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति सचिवी, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

प्र०/ २७५२ / संविदा भर्ती/ 2022-23

सक्रीय दिनांक २३/०८/२०२२

--:: आदेश ::--

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंगेजी माध्यम विद्यालय सचिवी मे विभिन्न पदों पर पदवश्य अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यभार प्रहण न करने/ त्याग पत्र देने के फलस्वरूप रिक्त पदों पर प्रतिक्षा सूची से निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्बुद्ध कठिका ०४ मे उल्लेखित पद पर प्राप्ति सुनाई देने एकमुक्त मानदेव पर (अच्युत कोई भत्ते देय नहीं होगे) अधिसूचित शर्ती के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	चयनित संवर्ग	पदा	एकमुक्त देय वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	UPENDRA NATH BHARDWAJ	GIRDHAR PRASAD	व्याख्याता भौतिक	अना. मुक्त	VILLAGE- DONDKI SAKTI ,POST OFFICE- NANDAUR KHURD	38100
	VISHESHA VAJPAI	VIJAY VAJPAI	व्याख्याता रसायन	अना. मुक्त	PATHARI BHATA WARD NO-2 CHHURI VIA JAMNIPALI	

- उपरोक्त पदांकित अधिकारी/कर्मचारी को पदवश्यापन स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंगेजी माध्यम विद्यालय सचिवी, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) मे दिनांक १.९./१९/२०२२ तक कार्यभार प्रहण करना होगा, उक्त अवधि मे कार्यभार प्रहण न करने पर यह आदेश स्वयंनव निरस्त माना जायेगा।
- नियुक्त सभी अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के प्रावधानों के अधीन होमे एवं छ.ग. सिविल सेवा आवधारण नियम १९८५ से शासित होंगे।
- नियुक्त अभ्यर्थी पूर्ण रूप से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंगेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति सचिवी के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण मे कार्य करें।
- संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति मेंडिकल बोर्ड से विकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा मे की जा रही है। जिला मेंडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- पुलिस अधीकारक से प्राप्त अनुप्रापण (चरित्र सत्पापन प्रमाण पत्र) मे यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती हैं तो सेवा तत्काल प्राप्ति से समाप्त कर दी जायेगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित की सेवा १ माह का नोटिस देकर अवधा उसके एकज मे ०१ माह का देवतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- उपरोक्त नियुक्ति मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदार की नियुक्ति मे आवश्यक दिये जाने के सबूत मे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुति निर्देशों का पालन किया गया है।
- यदि किसी भी रूपर पर उम्मीदार द्वारा उसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संकेती दी गई जानकारी गलत पायी जाती है तो वह बिना किसी पूर्ण सूचना के सेवा से पृथक किए जाने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड सहित के प्रावधानों के अधीन कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं पूर्णलापेण उत्तरदायी होगा।
- यदि उपर्युक्त नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा अपेन ऑनलाइन आवेदन, अभिलेख सत्यापन मे प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र गलत/भाष्यक/कूट्रचित पाये जाते हैं तो उसे बिना किसी पूर्ण सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड सहित के चुकायुक्त प्रावधानों के अधीन कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं पूर्णलापेण उत्तरदायी होगा।

Page 1 of 2

Scanned with CamScanner

- समस्त व्यवस्थित अभ्यर्थियों के कार्यों वा समय-समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा अनिवार्य रूप से वार्षिक मूल्यांकन, नियोक्ता द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा एवं उक्त समिति की अनुशंसा उपरांत ही, विद्यालयीन आवश्यकता अनुसार आगामी सत्रों के लिये नियुक्ति निरस्त जारी रखी जा सकती।
- यह नियुक्ति पूर्णत अस्थाई इह आदेश मे उल्लेखित एकमुक्त वेतन के अतिरिक्त स्वार्द्धकरण, नियमितिकरण, संविलयन, पेशन या अन्य कोई सेवालाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही इस संबंध मे कोई दावा विचारणीय होगा। यह संविदा नियुक्ति उत्तरदायी मे से किसी भी पक्ष द्वारा ०१ माह का नोटिस देकर अवधा उसके एकज मे १ माह का देवतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Tarau

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आ.उ.ज.गां.विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति सचिवी
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्र०प्र०/ २७५३ / संविदा भर्ती/ 2022-23

सक्रीय दिनांक २७/०८/२०२२

प्रतिलिपि,

- संविद छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर साथर सूचनार्थ प्रेषित।
- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्राजीती भवन नवा रायपुर की ओर साथर सूचनार्थ प्रेषित।
- समाजीय संयुक्त संचालक शिक्षा सम्बाद विभागस्थुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचायत जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर/ सक्रीय जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की सूचनार्थ।
- उप संचालक, जन सार्वक विभाग, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को दैनिक समाचार पत्रों मे नियुक्त प्रकाशन हेतु।
- श्री.आर्जु.ओ. एन.आर्जु.सी. जांजगीर को सूचनार्थ एवं जिले के पोर्टल <https://janjgir-champa.gov.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।